

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली के पुर्नरुद्धार के लिए रू0 99,48,000/- (निनानबे लाख अड़तालीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति संबंधी निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-1177 दिनांक 19.03.18 की कंडिका 4 को निम्नरूप से संशोधित किया जाता है।

कंडिका 4-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC-46 पर राशि की एक मुश्त निकासी कर प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना के पी0 एल0 खाता संख्या-268 में उपलब्ध करायेगें।

शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगें।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-6(स0)/विविध (अम्बापाली)-06/2016-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-6(स0)/विविध (अम्बापाली)-06/2016-

प्रतिलिपि-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

/पटना, दिनांक- 20.03.18

ज्ञापांक-6(स0)/विविध (अम्बापाली)-06/2016-

1201

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/स्कीम एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम, पटना/अपर सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6(स0), उद्योग विभाग को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।